संख्या–68/XXIV(6)/2011

प्रेषकः

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन ।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल नैनीताल
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।

शिक्षा अनुभाग–6

देहरादून दिनांकः 28 मार्च, 2011

विषयः– **निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु एकल खिड़की व्यवस्था का कियान्वयन।**

महोदय,

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की आवश्यकताओं की प्रासंगिकता, अन्य बौद्धिक क्षमताओं के संवर्धन तथा शोध के विशिष्ट केन्द्र (Centre of Excellence) स्थापित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–68/XXIV(6)/2011 दिनांक 15 मार्च, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति का निर्धारण किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देश एवं प्रदेश के संस्थानों/ट्रस्ट/सोसायटी जिनके पास निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये पर्याप्त संसाधन एवं बौद्धिक सम्पदायुक्त है या उच्च शिक्षा से सम्बन्धित् शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित किये जाने का व्यापक अनुभव है, तथा जो प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के इच्छुक हैं, उनके द्वारा प्रस्ताव करने पर राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति आदि के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) लागू किये जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार समिति गठित किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(7)	प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(8)	कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य
(9)	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।	सदस्य
(10)	दो विशेषज्ञ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
(11)	निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल	सदस्य–सचिव

नोट :– विशेषज्ञ का तात्पर्य उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रवीण एवं व्यापक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से है।

2– इच्छुक संस्थाओं/ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु अपने आवेदन प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सन्दर्भित किये जायेंगे । इस प्रकार प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को समिति के सदस्य सचिव को शासन के निर्देशानुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं नियामक संस्थाओं द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित मानकों (अद्यतन) के अनुरूप तुलनात्मक विवरण चार्ट के रूप में तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

3– समिति द्वारा सम्बन्धित् संस्थानों संस्थानों/ट्रस्ट/सोसायटी से प्राप्त प्रस्तावों की छटनी (screening) की जायेगी, उपयुक्त पाये जाने वाले प्रस्तावों को इस हेतु परामर्शी समिति (Consultant committee) को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

(1) <u>निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु भूमि के मानक निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं</u>:–

क0सं0	क्षेत्र	मानकानुसार निर्धारित भूमि	निर्मित क्षेत्र
1.	पर्वतीय क्षेत्र तथा महिला विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु	35 बीघा या 70 नाली	10,000 वर्गमीटर
2.	मैदानी क्षेत्र (जनपद देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर)	50 बीघा	15,000 वर्गमीटर

(2) <u>भूमि क्रय किये जाने हेतु परामर्शी समिति (Consultant Committee) का गठन एवं कार्य</u>:– सम्बन्धित् निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्तावकों द्वारा भूमि एवं उससे सम्बन्धित् अन्य कार्यो के त्वरित सम्पादन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है :–

अ. सम्बन्धित् जनपद के जिला अधिकारी : अध्यक्ष

ब. सम्बन्धित् जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी : सदस्य

स. उपनिदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी (कुमांऊ मण्डल हेतु) : सदस्य

द. उपनिदेशक उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून (गढ़वाल मण्डल हेतु) : सदस्य

निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक/प्रस्तावकों द्वारा को भूमि अपने स्वंय के स्रोतों से क्रय की जायेगी । शासन को प्राप्त प्रस्तावों का उक्त समिति द्वारा भली भॉति परीक्षण करते हुए **एक माह के भीतर** भूमि क्रय की सम्पूर्ण रिर्पोट सबल संस्तुति सहित शासन को प्रेषित की जायेगी ।

(3) <u>प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति हेतु परामर्शी समिति का गठन</u> :– निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नवत् परामर्शी समिति का गठन किया जाता है :–

अ. सम्बन्धित् जनपद के जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी : अध्यक्ष

ब. सम्बन्धित् जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र : सदस्य

स. उपनिदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी (कुमांऊ मण्डल हेतु) : सदस्य

द. उपनिदेशक उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून (गढ़वाल मण्डल हेतु) : सदस्य

निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु शासन को प्राप्त प्रस्तावों का उक्त समिति द्वारा भली भॉति परीक्षण करते हुए **बीस दिन के भीतर** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति सप्रमाण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अनापत्ति** :– निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु सम्बन्धित् संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा यदि वन भूमि को क्रय किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (Environmental Clearance Certificate) प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी ।

(5) **नियामक संस्था (यथा एम0डी0डी0ए0/एच0डी0ए0/नगर पंचायत/छावनी परिषद् आदि) से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराया जाना** :–

निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु क्रय की गयी भूमि पर भवन निर्माण कार्यो के दृष्टिगत मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु सम्बन्धित् संस्था/ ट्रस्ट/सोसायटी आवश्यक अभिलेखों सहित अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित् जनपद की नियामक संस्था को प्रस्तुत करेगी, और नियामक संस्था उक्त प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए अधिकतम् छः सप्ताह के भीतर मानचित्र स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है, यदि किन्हीं कारणवश प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नहीं पाया जाता है, तो इसकी सूचना भी उक्त अवधि के अन्दर कारण सहित सम्बन्धित् व शासन को दी जायेगी ।

4– इस प्रकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में गठित परामर्शी समिति की संस्तुतियों सहित सम्पूर्ण विवरण के अनुसार तैयार कर सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तदोपरान्त गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित नीति के दृष्टिगत् गुणावगुण के आधार पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव/प्रस्तावों पर अंतिम रूप से अपनी संस्तुति प्रदान की जायेगी ।

5– समिति के अध्यक्ष को किसी भी प्रस्ताव को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, इसके सम्बन्ध में कोई भी विधिक् दावा मान्य नहीं होगा ।

6– समिति द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित् संस्थाओं/ट्रस्ट/सोसायटी को यथा समय अवगत कराया जायेगा ।

7– इस सम्बन्ध में शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या : 327/XXIV(6)/2009 दिनांक 18 नवम्बर, 2009 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

8– उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 68 /xxiv(6)/2011 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली ।
2. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली ।
4. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
5. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड ।
6. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी जिला नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्तानुसार समस्त कार्यवाहियॉ समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें ।
8. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, ननूरखेड़ा देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्तानुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाहियॉ कराना सुनिश्चित करें ।
9. अधिशासी निदेशक, मुद्रक एवं लिथो प्रेस, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त आदेश की 1000 प्रतियां तुरन्त मुद्रित कराकर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत उत्तराखण्ड ।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद् उत्तराखण्ड ।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
13. समिति के समस्त सदस्यगण।
14. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर को इस आशय से प्रेषित कि वे जन सुविधा हेतु उक्त शासनादेश को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड़ देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पी0सी0 शर्मा) 23/3
प्रमुख सचिव ।

2807